

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस

पत्रांक: एफ०एस०-५०१-२०१२

सेवा में,

मुख्यालय, इन्द्राभवन लखनऊ।

दिनांक: लखनऊ: जनवरी २०१४

1. समस्त वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक,  
प्रभारी जनपद उ०प्र०।
2. संयुक्त निदेशक,  
सेनानायक / प्रधानाचार्य,  
राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, उन्नाव।
3. अधीक्षक,  
राजकीय मुद्रणालय लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद।

**विषय:** उ०प्र० पुलिस बेवसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल द्वारा प्रसारित किये जाने एवं आपत्तियाँ दिनांक 21.10.2013 तक उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.9.2012 द्वारा उ०प्र० अग्निशमन सेवा में नियुक्त व उ०प्र० नामिनल रोल प्रणाली में फीडर फायरमैन संवर्ग की स्थिति के अनुसार फायर सर्विस मुख्यालय स्तर से तैयार की गयी पारस्परिक संशोधित / परिवर्द्धित / अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो फायरमैन से फायर सर्विस चालक के पद पर प्रोन्नति हेतु फायरमैन की ज्येष्ठता सूची को फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा दिनांक 15.10.2013 को उ०प्र० पुलिस बेवसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल द्वारा प्रसारित करते हुए आपत्तियाँ दिनांक 21.10.2013 तक उपलब्ध कराये जाने के संबंध में हैं।

2. फायरमैन संवर्ग की पारस्परिक वरिष्ठता सूची के क्रमांक-१ से 244 तक पदोन्नति हो जाने एवं मृत्यु / सेवानिवृत्त / पदोन्नति / कई कार्मिकों के नाम (Repeat) दो बार अंकित होने के कारण फायरमैनों के नाम सूची से पृथक कर, जनपदों भर्ती / नियुक्ति तिथि में (वरिष्ठता) के अनुसार संशोधित करते हुए सूची में छूटे नामों को सम्मिलित करते हुए जनपदों व कर्मिकों द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदनों के निस्तारण के उपरान्त फायर सर्विस मुख्यालय स्तर से फायरमैनों की ज्येष्ठता सूची का पुनः परीक्षण करते हुए तैयार की गयी है।

3. प्रत्येक फायर स्टेशन / इकाई में कार्यरत फायरमैनों को अवगत कराकर अनन्तिम (Tentative) ज्येष्ठता सूची में अंकित कर्मियों को सूचित कराकर उनकी सहमति / असहमति का प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप-क में, सूची के जारी होने के दिनांक से 20 दिवस के अन्दर (दि ०१०.०२.२०१४ तक) अवश्य इस मुख्यालय को उपलब्ध करायें। यदि निर्धारित तिथि तक अनन्तिम वरिष्ठता के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जायेगा कि किसी कार्मिक को वरिष्ठता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है और अनन्तिम रूप से वरिष्ठता सूची परिचालित कर दी जायेगी। संबंधित कार्मिक परिचालित वरिष्ठता सूची में अपने कम के संबंध में आपत्ति सीधे फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ को प्रमाण पत्र सहित अधिकारियों को भेज सकते हैं।

4. निदेशानुसार कृपया अनुरोध है कि संलग्न सूची में अंकित व आपके जनपद में नियुक्त कार्मिकों की समस्त कालमों की सूचना का मिलान भी इनकी चरित्र पंजिका से कराकर प्रारूप-ख में राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सूचना निर्धारित तिथि तक अवश्य भेजे तथा यह भी प्रमाण पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से भेजने का कष्ट करें कि कोई भी फायरमैन(कर्मी) का नाम जनपद में छूटा नहीं है। वरिष्ठता के संबंध में उसे लिखित रूप से सूचित करा दिया गया है। फायरमैन की अनन्तिम (Tentative) वरिष्ठता सूची उ०प्र० पुलिस बेवसाइट पर अपलोड एवं वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक के ई-मेल आइडी पर भी उपलब्ध है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक-वरिष्ठता कम में सूची/

प्रारूप क, ख व ग

( अरविन्द कुमार )

संयुक्त निदेशक (अधिष्ठान)

नि०-अपर पुलिस महानिदेशक,

फायर सर्विस मुख्यालय,

उ०प्र० लखनऊ।

**प्रतिलिपि:-** समस्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी / समस्त प्रभारी अग्निशमन अधिकारी उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने-अपने अग्निशमन केन्द्र पर नियुक्त फायरमैन को सूची से मिलान करते हुए अवलोकित कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र (प्रारूप-ग में) प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र प्रभारी भी अपने स्तर से दें। यदि किसी का नाम छूटा हो तो भी प्रमाण पत्र के साथ सूची के प्रारूप-ख के अनुसार ही सूचना निर्धारित तिथि के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-वरिष्ठता कम में सूची / प्रारूप क व ख